न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– भवानी सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 106 / 2021

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
कमली पत्नी श्री पीराराम, जाति भाट, निवासी ग्राम बिनावास तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर, हाल निवास बिजलीघर के सामने, ग्राम गोटन, तहसील मेड़ता सिटी, जिला नागौर राज.		1. ककूदेवी पत्नी जेठाराम **फौत (डिलीट)** 2. गोरधनराम पुत्र जबराराम 3. बलदेव पुत्र जोधाराम 4. बाबूलाल पुत्र जेठाराम 5. मीरादेवी पत्नी जबराराम 6. राकेश पुत्र जबराराम 7. रीनाकुमारी पुत्री जबराराम 8. श्यामलाल पुत्र जेठाराम 9. सुशिलादेवी पुत्री जोधाराम 10. सोहनलाल पुत्र जेठाराम 11. हड़मानराम पुत्र जेठाराम जातियान भाट, निवासीगण बिनावास, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर राज. 12. बलदेवराम पुत्र घीसाराम जाति जाट (भीचर) निवासी जाटो का बड़ा बास ग्राम बीनावास, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज. 13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

उपस्थिति :– वादी की ओर से श्री मदनलाल चौधरी एडवोकेट।
प्रतिवादी संख्या 1 से 12 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
प्रतिवादी संख्या 13 सरकारी पैरोकार।

निर्णय दिनांक :– 27/9/2022

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बिनावास तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 481 / 414 रकबा 2.5749 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय आयी हुयी है, जिसके खाता संख्या 480 है। उपरोक्त खसरा की भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 12 की सयुक्त खातेदारीसुदा, सयुक्त कब्जा काश्तसुदा भूमि है, जिसमें वादी का 40 / 357 वॉ हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1 / 7 वॉ हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1 / 28 वॉ हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 31 / 714 वॉ हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 31 / 357 वॉ हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 1 / 28 वॉ हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 का 1 / 28 वॉ हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 का 1 / 28 वॉ हिस्सा,

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

प्रतिवादी संख्या 8 का 1/7 वॉ हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 का 31/714 वॉ हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 10 का 7/77 वॉ हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 11 का 13/112 वॉ हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 12 का 4/77 + 3/112 वॉ हिस्सा है। वादग्रस्त कृषि भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 12 का वाद पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित हक व हिस्से यानि खाता संख्या 480 की चालु जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 में वर्णितानुसार हिस्से की भूमि पर मौके पर सयुक्त रूप से काबिज है व सयुक्त रूप से काश्त कर रहे है। वादग्रस्त कृषि भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 12 के मध्य आज दिन तक लिखित व विधिवत बंटवाड़ा नही हुआ है व न ही राजस्व नक्शे में मुताबिक वादपत्र के पद संख्या 2 में वर्णित हिस्से के अनुसार तरमीम हुई है तथा वादग्रस्त भूमि वाद पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित हक व हिस्से के अनुसार राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 12 के नाम से सयुक्त रूप से खातेदारी के रूप में दर्ज है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 12 वाद पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित अपने हिस्से के अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि पर सयुक्त रूप से काबिज व सयुक्त रूप से काश्त कर रहे है। वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में वादपत्र के पद संख्या 2 में वर्णित वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 12 के हक व हिस्से के संबंध में वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 12 को विधिवत बंटवाड़ा व राजस्व नक्शे में मुताबिक विधिवत बंटवाड़ा के अनुसार तरमीम करवाने हेतु कई बार निवेदन किया परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 12 ने आज दिन तक न तो वादी के निवेदन को स्वीकार किया व न ही वादी के निवेदन से सहमत हुए व न ही आज दिन तक वादग्रस्त कृषि भूमि का विधिवत बंटवाड़ा किया। बिना बंटवाड़ा के वादी न तो अपने हिस्से की भूमि पर कोई सुधार कर सकता है और न ही उसे उपजाऊ बना सकता है, व न ही सरकारी सुविधाओं को प्राप्त कर सकता है। इसलिए वादी को अपने हक व हिस्से की वाद पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि के बंटवाड़ा व राजस्व नक्शे में तरमीम करवाने के लिए वाद बाबत् बंटवाड़ा का पेश किया है। दिनांक 02.08.2021 को प्रतिवादी संख्या 1 से 12 द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि पर बिना बंटवाड़ा किये ही मौके पर अजनबी खरीददारों को उक्त वादग्रस्त भूमि बैचान करने हेतु मौका दिखाने हेतु आये। तब वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 12 को कहा कि आप वादग्रस्त जमीन का मौका क्यो दिखा रहे हो तब उन्होने वादी को कहा कि प्रतिवादी संख्या 1 से 12 अपने हिस्से की जमीन को बैचान करेंगे। तब वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 12 को कहा कि आप बिना बंटवाड़ा किये तथा बिना वादी की सहमति के आपके हिस्से की भूमि का बैचान अजनबी क्रेता को नही कर सकते हो। तो प्रतिवादी संख्या 1 से 12 ने वादी की बात को न मानकर वादी

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

को एलानिया कहा कि ''हम तो हमारे हिस्से की भूमि को पड़ौस दर्शाते हुए बिना बंटवाड़ा के व तुम्हारी सहमति के बिना अजनबी क्रेता को बैचान करके रहेंगे। यदि तुमने कानूनी कार्यवाही के जरिये रोकने की कोशिश की तो हम तुम्हे भी तुम्हारे हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल कर देंगे तथा तुम्हे तुम्हारे हिस्से से वंचित कर देंगे।'' इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 से 12 को उनके द्वारा उपरोक्त अवैध कार्य करने से रोकने हेतु जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इसलिए वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है।

अन्त में निवेदन किया कि राजस्व ग्राम बिनावास तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 481/414 रकबा 2.5749 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय जिसके खाता संख्या 480 है, में स्थित वादी के 40/357 वॉ हिस्से की भूमि का जरिये मीटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किया जाकर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अलग से उपरोक्त हिस्से के अनुसार खातेदारी दर्ज की जावे व राजस्व नक्शे में उपरोक्त वर्णित हक व हिस्से अनुसार तरमीम की जावे तथा वादी की बंटसुदा भूमि में आने जाने हेतु रास्ते की सुविधा की जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो वादी के हिस्से अनुसार बंट में आयी खातेदारी भूमि में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल करे तथा न ही अन्य किसी से करावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया वादी का दावा दिनांक 28.03.2022 को प्राथमिक डिक्री किया गया और ग्राम बीनावास तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 481/414 रकबा 2.5749 हैक्टेयर में स्थित वादी के 40/357 वॉ हिस्से की भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा कर बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया गया। जिसकी पालना करते हुए तहसीलदार बिलाड़ा ने बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है ग्राम बीनावास तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 481/414 रकबा 0.2885 हैक्टेयर वादी कमली पत्नी पीराराम, जाति भाट सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी, तथा खसरा नम्बर 481/414 रकबा 2.2864 हैक्टेयर प्रतिवादीगण गीता पुत्री जेठाराम भाट 525/22864 वॉ हिस्सा, गोरधनराम पुत्र जबराराम भाट 1052/22864 वॉ हिस्सा, बलदेव पुत्र जोधाराम भाट 1380/22864 वॉ हिस्सा, बलदेवराम पुत्र घीसाराम जाट 2027/22864 वॉ हिस्सा, बाबूलाल पुत्र जेठाराम भाट 2761/22864 वॉ हिस्सा, मीरादेवी पत्नी जबराराम 1052/22864 वॉ हिस्सा, राकेश पुत्र जबराराम भाट 1052/22864 वॉ हिस्सा, रीनाकुमारी पुत्री जबराराम भाट 1052/22864 वॉ हिस्सा, श्यामलाल पुत्र

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

जेठाराम भाट 4203/22864 वॉ हिस्सा, सुशीला पुत्री जोधाराम भाट 1380/22864 वॉ हिस्सा, सोहनलाल पुत्र जेठाराम भाट 2866/22864 वॉ हिस्सा, हड़मानराम पुत्र जेठाराम भाट 3514/22864 वॉ हिस्सा सा. देह खातेदार के बंट में शामलाती रखी गयी, बंटवाड़ा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति पेश नही की। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग समझा जावे तथा बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करने व नक्शा ट्रेस में बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के अनुसार तरमीम करने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को दिया जाता है एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 27/9/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा,

ब इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादी

कमली पत्नी श्री पीराराम,
जाति भाट, निवासी ग्राम बिनावास
तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर,
हाल निवास बिजलीघर के सामने,
ग्राम गोटन, तहसील मेड़ता सिटी,
जिला नागौर राज.

बनाम

प्रतिवादीगण

1. ककूदेवी पत्नी जेठाराम **फौत (डिलीट)**
2. गोरधनराम पुत्र जबराराम
3. बलदेव पुत्र जोधाराम
4. बाबूलाल पुत्र जेठाराम
5. मीरादेवी पत्नी जबराराम
6. राकेश पुत्र जबराराम
7. रीनाकुमारी पुत्री जबराराम
8. श्यामलाल पुत्र जेठाराम
9. सुशिलादेवी पुत्री जोधाराम
10. सोहनलाल पुत्र जेठाराम
11. हड़मानराम पुत्र जेठाराम जातियान भाट, निवासीगण बिनावास, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर राज.
12. बलदेवराम पुत्र घीसाराम जाति जाट (भीचर) निवासी जाटो का बड़ा बास ग्राम बीनावास, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

राजस्व वाद संख्या :– 106 / 2021 निर्णय दिनांक :– 27/9/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 2 से 12 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम बीनावास तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 481/414 रकबा 0.2885 हैक्टेयर वादी कमली पत्नी पीराराम, जाति भाट सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी, तथा खसरा नम्बर 481/414 रकबा 2.2864 हैक्टेयर प्रतिवादीगण गीता पुत्री जेठाराम भाट 525/22864 वॉ हिस्सा, गोरधनराम पुत्र जबराराम भाट 1052/22864 वॉ हिस्सा, बलदेव पुत्र जोधाराम भाट 1380/22864 वॉ हिस्सा, बलदेवराम पुत्र घीसाराम जाट 2027/22864 वॉ हिस्सा, बाबूलाल पुत्र जेठाराम भाट 2761/22864 वॉ हिस्सा, मीरादेवी पत्नी जबराराम 1052/22864 वॉ हिस्सा, राकेश पुत्र जबराराम भाट 1052/22864 वॉ हिस्सा, रीनाकुमारी पुत्री जबराराम भाट 1052/22864 वॉ हिस्सा, श्यामलाल पुत्र जेठाराम भाट 4203/22864 वॉ हिस्सा, सुशीला पुत्री जोधाराम भाट 1380/22864 वॉ हिस्सा, सोहनलाल पुत्र

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी

जेठाराम भाट 2866/22864 वॉ हिस्सा, हड़मानराम पुत्र जेठाराम भाट 3514/22864 वॉ हिस्सा सा. देह खातेदार के बंट में शामलाती रखी गयी, बंटवाड़ा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति पेश नही की। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग समझा जावे तथा बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करने व नक्शा ट्रेस में बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के अनुसार तरमीम करने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को दिया जाता है एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज — मुबलिग — बाबत् —

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह —सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक —की अदा करें।बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27/9/2022 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :-इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा